



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर भोपाल केम्प (म.प्र.)

96


PBR/किगरानी/श्रीपाल/श्रृंखला/2018/0363

प्र.कं...../2017

भंवरलाल वर्मा आ. श्री मायाराम वर्मा
निवासी ग्राम हिनोतिया आलम
तह.हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.)

-- पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध



28-12-17
श्री मांगेश लाल
श्री मांगेश लाल द्वारा 28-12-17
का उत्तर पत्र

मेसर्स मधुरम बिल्डर्स द्वारा सौरभ
आ. श्री राजेन्द्र सिंह यादव बगैरा
निवासी कोलार रोड भोपाल(म.प्र.)

28-12-17 2. सर्व साधारण

-- अनावेदकगण

पुनरीक्षण ज्ञापन



पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अधिकारी महोदय तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक-5/अ-70/16-17 आदेश दिनांक 19.12.2017 से क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./18/0363

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-1-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री योगेश सोनी, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । अनावेदक पक्ष सूचित हों ।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> अध्यक्ष</p>	